



# उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

संख्या: 28-अ0प्र0(2अ)/पा0का0लि0/2009

दिनांक 28 जुलाई, 2009.

## कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्य हित में एतद्वारा निम्नांकित मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) को स्तम्भ संख्या-3 में उल्लिखित उनके वर्तमान तैनाती के कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्तम्भ संख्या-4 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान पर तैनात किया जाता है:-

| क्रम सं० | नाम (अभि० सं०) (गृह जनपद)                       | वर्तमान तैनात का कार्यालय/स्थान                                                                       | स्थानान्तरण के पश्चात् तैनाती का कार्यालय/स्थल                                                        |
|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | 2                                               | 3                                                                                                     | 4                                                                                                     |
| 1        | श्री अशोक कुमार सिंह-द्वितीय, (73004) (वाराणसी) | मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), एवं मुख्य अभियन्ता पारेषण परिकल्पना एवं कय, ट्रांसको (मु०), लखनऊ।            | मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) एवं मुख्य अभियन्ता कन्ट्रोल एवं मानिटरिंग यूनिट(पारेषण) ट्रांसको (मु०), लखनऊ। |
| 2.       | श्री एहतिशाम रजा रिजवी (73017) (सिद्धार्थनगर)   | मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) एवं मुख्य अभियन्ता कन्ट्रोल एवं मानिटरिंग यूनिट(पारेषण) ट्रांसको (मु०), लखनऊ। | मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), एवं मुख्य अभियन्ता पारेषण परिकल्पना एवं कय, ट्रांसको (मु०), लखनऊ।            |

2- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।

3- उपर्युक्त स्थानान्तरित अधिकारी को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाय।

4- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि(06)-2001 दिनांक 11.6.2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

संख्या: 28-अ0प्र0(2अ)/पा0का0लि0/2009 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, के प्रमुख निजी सचिव/अपर प्रबंध निदेशक/समस्त निदेशक/अपर सचिव(प्रथम/द्वितीय/का०वि०नी०/अरा०) के निजी सचिव, उ०प्र० पा०का०लि०, शक्तिभवन, लखनऊ।
2. प्रबंध निदेशक, दक्षिणांचल/मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा/लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/केस्को लिमिटेड, कानपुर/ट्रांसको लि०, लखनऊ।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबंधक/महा प्रबंधक, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा० ट्रांसमिशन कारपो० लि०।
4. मुख्य अभियन्ता, कम्प्यूटर इकाई उ०प्र० पा०का०लि०, शक्तिभवन विस्तार, लखनऊ।
5. समस्त सयुक्त सचिव, उ०प्र० पा०का०लि०, शक्तिभवन, लखनऊ।
6. उप महा प्रबंधक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पाका०लि०, लखनऊ।
7. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ०प्र० पाका०लि०, कमरा नं०-407, शक्तिभवन, लखनऊ।
8. अनुसचिव (गोपन), उ०प्र० पाका०लि०, शक्तिभवन, लखनऊ।
9. सम्बंधित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।

आज्ञा से,  
(प्रवीर चन्द्र मिश्र)  
उपसचिव